

(उत्तरीय प्राप्तकर्ताओं के लिए निर्देश)

किसी भी उपाधि प्राप्तकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित परिवान धारण किये बिना दीक्षान्त-समारोह के पाण्डिल में प्रदेश नहीं मिलेगा।

- केवल उड़ी अध्यधिकों को दीक्षान्त-समारोह के दिन उपाधि-पत्र दिये जायेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय कार्यालय से उपाधि के लिए अनुज्ञा-पत्र पर इस बात की मोहर लगवा ली है कि उपाधि प्राप्तकर्ता ने दीक्षान्त-समारोह के लिए उत्तरीय प्राप्त कर लिया है।
- एक उत्तरीय का प्रयोग शुल्क ₹0 50/- (₹50 पचास) होगा।
- किसी भी उपाधि प्राप्तकर्ता को उत्तरीय तभी दी जायेगी जबकि वह ₹0 200/- निर्धारित शुल्क (प्रतिशुल्क राशि) जमा कर इस प्रपत्र को हस्ताक्षर करके विश्वविद्यालय कार्यालय में आशा कर देगा। उपाधि प्राप्तकर्ता द्वारा उत्तरीय वापस करने पर रुपया पद्धास प्रयोग शुल्क काटकर शेष धन लौटा दिया जाएगा।
- दीक्षान्त-समारोह होने के पश्चात प्रत्येक उपाधि प्राप्तकर्ता उत्तरीय सुरक्षित रूप में विश्वविद्यालय कार्यालय को वापस करने के लिए अधिकात्मक रूप में उत्तरादाती होगा। पश्चात अपेक्षा हस्ताक्षर उत्तरीय वापस नहीं लिया जायेगा।
- उपाधि प्राप्तकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह दीक्षान्त-समारोह की समाप्ति के पश्चात निर्धारित अवधि (दो साल) में उत्तरीय वापस करे। यदि वह निर्धारित समय के अन्दर उत्तरीय वापस नहीं कर पाता तो उत्तरीय खेया हुआ समझा जायेगा उसके द्वारा जोने पर उपाधि प्राप्तकर्ता द्वारा जमा ₹0 200/- (दो सौ) क्षतिपूर्ति स्वरूप जब्त कर लिए जायेंगे। किसी विवाद की स्थिति में कानूनपूर न्यायालय अधिकार केवल होगा।
- दीक्षान्त-समारोह की समाप्ति पर सभी उपाधि प्राप्तकर्ता उस समय तक अपने स्थान पर खड़े रहेंगे जब तक कि शोभ-यात्रा पाण्डिल से वाहन न हो जाये।

अनुपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानूनपूर

दीक्षान्त-समारोह

(उपाधि-पत्र के लिए अनुज्ञा-पत्र)

उपाधि प्राप्तकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय उपाधि-पत्र वितरक को, दीक्षान्त समारोह के दिन पूर्णतः भारकर दिया जाये और बिना अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किये तथा पुङ्काकित निर्देशों की पूर्ति के अभाव में उपाधि वितरक उपाधि पत्र कृपया न दें।

इस प्रपत्र में विश्वविद्यालय कार्यालय से उत्तरीय प्राप्ति की भोहर लगवाना अनिवार्य है जिसमें कि दीक्षान्त-समारोह के लिए उत्तरीय प्राप्त की प्राप्ताणिकता सिद्ध हो।

कृपया मुझे निम्नांकित उपाधि-पत्र प्रदान करें।

परीक्षा का नाम :	वर्ष
उपाधि प्राप्तकर्ता का नाम :
अनुश्रूतमंक :
नामांकन सं0 :
पता :

विषय.....

उपाधि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उपर्युक्त उपाधि-पत्र प्राप्त किया
दिनांक :

उपाधि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नोट:- (1) कृपया निर्देशों के लिए पृष्ठाकृति निर्देश देखें।
 (2) नामांकन संख्या अवश्य अधिक्षित करें।

(उपाधि प्राप्तकर्ताओं के लिए निर्देश)

क्रमपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

इस प्रपत्र पर विश्वविद्यालय कार्यालय की ओहर लगावाना अनिवार्य है जिससे ज्ञात हो सके कि अध्यर्थी ने दीक्षान्त समरोह में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक परिधान (उत्तरीय) प्राप्त कर लिया है।

2. दीशान्त-समारोह में सम्मिलित होने वाले अध्यर्थियों को चाहिए कि वे इस प्रत्यय पर हस्ताक्षर करके उपाधि पत्र वितरित करने वाले अधिकारी को दे दें तभी उन्हें उपाधि पत्र दिये जा सकेंगे। अध्यर्थियों को चाहिये कि इस प्रपत्र पर पहले से ही अपने हस्ताक्षर कर ले जिससे कि उपाधि-पत्र प्राप्त करने में समय नष्ट न हो।

3 जो उपाधि प्राप्तकर्ता व्यक्तिगत रूप से दीक्षान्त समारोह में सम्मिलित होने में असमर्थ है उन्हें ₹0 800/- (रुपये आठ सौ मात्र) उपाधि शुल्क के रूप में जमा करने और निधिरित अवेदन-पत्र देने पर कुलसंचय द्वारा उपाधि पत्र प्रदान किये जायेंगे।

4. उपाधि प्राप्तकर्ता को उपाधि-पत्र प्राप्ति हेतु पूर्णकित निर्धारित स्थान पर निर्मांकित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा मोहर सहित अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराना अनिवार्य है।

5. (क) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अथवा
 (ख) सम्बन्धित संकायाध्यक्ष अथवा
 (ग) सम्बद्ध महाविधालय के प्राचार्य अथवा
 (घ) सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा
 (ड) ३०प्र० के प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश अथवा
 (च) सम्बन्धित परीक्षक (गाइड)

6. दीक्षान्त-समारोह में सम्मिलित होने वाले प्रत्याशियों के अंतिकृत अन्य किसी को भी उपाधि-पत्र नहीं दिये जायेंगे।

हृषीकेश जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
दीक्षान्त-समारोह
(उत्तरिय के लिए अनुज्ञा-पत्र)

दीक्षान्त-समारोह

(उत्तरीय के लिए अनुज्ञा-पत्र)

कृष्णा एक उत्तरीय निर्धारित शूल्क भुगतान पर प्रदान करें।

कि वे इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके उपाधि पत्र वितरित करने वाले अधिकारी को दे दें तभी उन्हें उपाधि पत्र दिये जा सकेंगे। अम्बार्थियों को चाहिये कि इस प्रपत्र पर पहले से ही अपने हस्ताक्षर कर तो जिससे कि उपाधि-पत्र प्राप्त करने में समय नष्ट न हो।

3 जो उपाधि प्राप्तकर्ता व्यक्तिगत रूप से दीक्षाता-समारोह भें सम्मिलित होने में असमर्थ है उन्हें ₹0 800/- (रुपये आठ सौ मात्र) उपाधि शुल्क के रूप में जमा करने और निर्धारित आवेदन-पत्र देने पर कुलसंचिव द्वाया उपाधि पत्र प्रदान किये जायेंगे।

4. उपाधि प्राप्तकर्ता को उपाधि-पत्र प्राप्ति हेतु पृष्ठांकित निर्धारित स्थान पर निर्माकित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा मोहर सहित अपने हस्ताक्षर स्थापित कराना अनिवार्य है।

5. (क) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अथवा
 (ख) सम्बन्धित संकायाध्यक्ष अथवा
 (ग) सम्बद्ध महाविधालय के प्राचार्य अथवा
 (घ) सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा
 (ड) ३०प्र० के प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश अथवा
 (च) सम्बन्धित परीक्षक (गाइड)

6. दीक्षान्त-समारोह में सम्मिलित होने वाले प्रत्याशियों के अंतिकृत अन्य किसी को भी उपाधि-पत्र नहीं दिये जायेंगे।

श्रीलक्ष्मी विवरण
(श्रीलक्ष्मी जपा रसी)

(शुल्क जमा रसोद संलग्न करें)

एक उत्तरीय प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
.....
बुक संख्या :

दिनांक :
रसीद संख्या :

दिनांक

नोट: करपया निर्देशों के लिए प्रष्टांगित निर्देश देखें